

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्थद् सचिवालय
द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना
E-mail: sipbbihar16@gmail.com. Website: w.w.w.udyog.bihar.gov.in

ज्ञापक-एस0आई0पी0बी0 201700005
रोबा में,

दिनांक-

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

विषय- मे0 खुदनेश्वर महादेव कोल्ड स्टोरेज, समस्तीपुर को 7000 मे0 टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु टर्म लोन पर चतुर्थ किश्त ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू0 3,69,187/- (मात्र तीन लाख उनहतर हजार एक सौ सत्तासी रूपए) के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मे0 खुदनेश्वर महादेव कोल्ड स्टोरेज, समस्तीपुर को 7000 मे0 टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्थद् की बैठक दिनांक 13-01-2017 में स्टेज-1 का तथा दिनांक 14.07.2017 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरनेस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (ii) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में माननीय उद्योग मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अंतर्गत गैर प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्थद् सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापक 2525 दिनांक 17.08.2017 द्वारा श्री आर0 के0 उपाध्याय, उप निदेशक, तक0/ एस0 आई0 पी0 बी0 प्रमारी, बिहार, पटना एवं श्री अलख कुमार रिन्हा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर से उक्त ईकाई का स्थल निरीक्षण कराया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 20.04.2017 से उत्पादनरत बताया गया है, अतः ईकाई अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. ईकाई को पूर्व में 30 सितम्बर, 2018 तक कुल रू0 29,94,195/- (मात्र उनतीस लाख चौरानबे हजार एक सौ पचानबे रूपए) दिया जा चुका है।

4. ईकाई को छठे किश्त के रूप में 01 अक्टूबर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू0 3,69,187/- (मात्र तीन लाख उनहतर हजार एक सौ सत्तासी रूपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है-

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उदघोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जायेगी।

(iv) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

5. उक्त राशि का व्यय वहन 'राज्यादेश सं0-2060, दिनांक-11.06.18 एवं आवंटनादेश सं0-5/DI-B(Allotment)-16/2018, Order No.-1480 dated-13.06.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सागान्ध, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, गौग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

क्रमशः पृष्ठ-2

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
7. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
8. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रशीद पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।
9. इस राशि का मुगतान मे० खुदनेश्वर महादेव कोल्ड स्टोरेज, समस्तीपुर को उनके भारतीय स्टेट बैंक तेघरा, बेगुसराय में खाता संख्या- 35746166130, IFS Code-SBIN0003012 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक-

झापांक-एस०आई०पी०बी० 201700005

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक-

झापांक-एस०आई०पी०बी० 201700005

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक-5-3-19

झापांक-एस०आई०पी०बी० 201700005 1297

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / ~~आर० टी०~~ प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, मे० खुदनेश्वर महादेव कोल्ड स्टोरेज, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।